



दी कांगड़ा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड

सी- 29, कम्युनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी नई दिल्ली- 110058

सदस्यों के लिए ऋण की और सुविधाएं

01-10-2026 से साधारण ऋण (**SURETY LOAN**) की सीमा वर्तमान 5 लाख रुपये से बढ़ाकर **10** लाख रुपये कर दी गई है जिसके निम्नलिखित नियम होंगे।

❖ **5** लाख रुपये तक के ऋण नियमों में कोई परिवर्तन नहीं है।

5 लाख रुपये से अधिक और **8** लाख रुपये तक का ऋण लेने के लिए सिबिल रेटिंग कम से कम **600** होनी चाहिए। ऋण अदायगी की अधिकतम किस्तें **72** होंगी। सदस्य को दो ताजा आई.टी.आर अथवा दो ताजे वेतन प्रमाण पत्र (**SALARY CERTIFICATES**) देने होंगे। **SURETY** यदि सरकारी नौकरी वाला सदस्य देता है तो उसकी बाकी सर्विस कम से कम **72** महीने होनी चाहिए अथवा किसी ऐसे सदस्य की **SURETY** हो जिसका घर अपने अथवा पत्नी के नाम हो।

8 लाख रुपये से अधिक ऋण पाने के लिए **CIBIL RATING** कम से कम **750** होनी चाहिए। **REPAYMENT PERIOD 84 EMIs** होंगी। सदस्य को तीन ताजा आई.टी.आर अथवा तीन ताजे वेतन प्रमाण पत्र (**SALARY CERTIFICATES**) देने होंगे। **SURETY** दो सदस्यों को देनी होगी जो सरकारी सेवा (**GOVERNMENT SERVICE**) में हों तथा जिनकी शेष सर्विस कम से कम **7** वर्ष होनी चाहिए अथवा दो ऐसे सदस्यों से जिनका मकान अपने नाम अथवा पति/ पत्नी के नाम होना चाहिए।

सदस्यों की सुविधा के लिए **2 Lakh** रुपये तक का साधारण ऋण (**SURETY LOAN**) देने की व्यवस्था शाखा में स्वीकृत करने तथा उसी दिन देने की की गई थी जिसका सदस्य लाभ उठा रहे हैं। निदेशक मंडल ने निर्णय किया है **01-10-2026** से **2 Lakh** रुपये तक ट्रांसपोर्ट ऋण तथा **DCG (DURABLE CONSUMER GOODS)** ऋण भी शाखा में ही स्वीकृत किये जायेंगे तथा दिए जायेंगे तथा **DCG (DURABLE CONSUMER GOODS)** ऋण की सीमा **1 Lakh** रुपये से बढ़ाकर **2 Lakh** रुपये कर दी गई है।

सदस्य इन सुविधाओं का लाभ उठायें।

निदेशक मंडल